न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल ग्वालियर म.प्र.

प्रकरण क्रमांक / 2018

झलकन सिंह पुत्र श्री सूरज सिंह कुर्मी निवासी आफताब नगर उर्फ हरिपुर तहसील सिरोंज जिला विदिशा म.प्र.

......आवेदक

बनाम

1. श्री कौशलेन्द्र विक्रम सिंह कलेक्टर जिला विदिशा म.प.
2. श्री ब्रज बिहारी श्रीवास्तव अनुविभागीय अधिकारी सिरेंाज म.प्र
3. श्री चन्द्रा कुमार ताम्रकार तहसीलदार वृत्त – 2 सिरोंज नई पदस्थापना तहसील चंदेरी जिला अशोकनगर
4. अजय शर्मा तहसीलदार वृत्त –2 सिरोंज जिला विदिशा म.प्र.

.... अनावेदकगण

अवमानना आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 10 एवं 12 न्यायालय अवमानना अधिनियम , माननीय न्यायालय राज़स्व मण्डल ग्वालियर म.प्र. द्वारा प्रकरण क्रमांक निगरानी 440आई/18 में पारित आदेश दिनांक 4.7.2018 की जानबझकर अवज्ञा/ अवहेलना किये जाने के विरूद्ध प्रस्तुत है।

श्रीमानजी,

आवेदक का आवेदन पत्र निम्न प्रस्तुत है :–

1. यहकि, आवेदक द्वारा न्यायालय अपर आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल म.प्र. द्वारा प्रकरण क्रमांक 115/ अपील/ 2015–16 में पारित आदेश दिनांक 14.11.2017 के विरूद्ध माननीय न्यायालय के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की गई थी। ।

11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - विविध-5760/2018/विदिशा/भू.रा.

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
10/10/18	प्रकरण का अवलोकन किया एवं आवेदक अधिवक्ता के तर्कों पर विचार किया। उनके द्वारा यह अवमानना आवेदन इस आधार पर प्रस्तुत किया गया है कि इस न्यायालय द्वारा दिनांक 04.07.2018 को दिए गए आदेश के उपरांत भी अनावेदक द्वारा आवेदक की भूमि पर कब्जा करके बागड़ लगा दी गई है जो न्यायालय के आदेश की अवमानना है। आवेदक अधिवक्ता के तर्कों पर विचार किया। आवेदन के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया। दस्तावेजों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि आवेदक द्वारा जबरन कब्जा करने के संबंध में प्रस्तुत आवेदन पर पटवारी से प्रतिवेदन बुलाया गया है, जिसमें पटवारी द्वारा यथास्थिति बनाए रखने की समझाइश उभयपक्षों को दी है। ऐसी स्थिति में यह प्रकरण अवमानना की श्रेणी में नहीं आता है। अत: आवेदक द्वारा प्रस्तुत अवमानना आवेदन अग्राह्य किया जाता है। **प्रशासकीय सदस्य**	